गोण्ड जनजाति की सांस्कृतिक पहचान एवं समस्या

प्रा. विनायकराव इरपाते (नागपुर)

गोंड देश की सबसे प्राचीन जनजाति है। मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, ओड़िसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में उल्लेखित किया गया है। छत्तीसगढ के बस्तर, बिलासपुर सरगुजा एवं मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा तथा मण्डला जिलों में गोंड़ों की जनसंख्या अधिक है। महाराष्ट्र में गोंड़, चन्द्रपुर, यवतमाल, गढ़चिरोली, भण्डारा, गोंदिया जिलों में पाए जाते है। गोंड यह विदर्भ में ही नहीं अपितु महाराष्ट्र में अल्पसूचित जनजातियों में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाती के रूप में जानी जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में गोंड़ यह माडिया गोंड़, राजगोंड़ नाम से पहचाने जाते है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री हिस्लॉप की राय ने गोंड़ या 'गूण्ड' शब्द कोंड या कूण्ड का विकृत रूप है, ऐसा कहा है। कोंड शब्द तेलगू के कोंडा से निकला है। जिसका अर्थ 'पर्वत' होता है। इस प्रकार गोंड शब्द पर्वत में रहनेवाले का पर्यायवासची मानपा गया है। कुछ विद्वान इस उत्पत्ति को 'शून्य' मानते है।

हीरालाल और रसेल के अनुसार 'गोण्ड और उनकी उपजातियाँ स्वयं की पहचान 'कोय' या 'कायतूर' शब्दों से करती है। जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वत वासी मनुष्य है।' ग्रियसन (1931) के अनुसार 'मध्यभारत से लेकर पूर्वी घाटों और हैदराबाद तक जहाँ कहीं भी गोण्ड अपनी भाषा का प्रयोग करते है, अपने को कोया या कोयातूर कहते है। भारत में सरकारी अधिकारियों ने धीरे–धीरे सभी 'कोयातूर' लोगों को गोण्ड प्रजाति कहना शुरू कर दिया है।

गोण्ड संख्यात्मक दृष्टि से ही नहीं राजनैतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी न केवल महाराष्ट्र में अपितु भारत में प्रमुखतम जनजातियों में से एक है। मध्यप्रदेश के एक बड़े हिस्से में गोण्ड जनजाति सफलतापूर्वक राज्य किया था। गेाण्ड जनजाति ने दण्डकारण्य, छत्तीसगढ़, विन्ध्याचल, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड और महाराष्ट्र में चन्द्रपुर, बल्लारशाह, शिरपुर, के अधिकांश क्षेत्र पर 15वी सदी से 18वी सदी तक शासन किया था। गोण्डों के सबसे प्रतापी नरेश संग्रामशाह और दलपतशाह थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में अनेक किलों का निर्माण किया। दलपतशाह की आकस्मिक मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने राज्यशासन कुशलतापूर्वक सम्भाला। दुर्गावती राजपूत थी किन्तु उसका विवाह राजगोण्ड

दलपतशाह से हुआ था। वस्तुतः राजगोण्ड अपने राज्यकाल में क्षत्रीयत्व का दर्जा प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने धीरे–धीरे फकीरी प्रवृत्ति को त्यागकर उच्चवर्ग हिन्दुओं के आचार व्यवहार को स्वीकार कर लिया था।

गोण्ड समाज की सांस्कृतिक पहचान

जनजातीय गोण्ड समाज की सांस्कृतिक पहचान के बिन्दुओं में मतभेद है। विद्वान लोग जनजातियों के विषय में अलग–अलग बाते बताते है। जैसे जनजाति का ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई संस्कृति होती है। वह प्रकृतिपूजक है। भूतप्रेत, पूर्वजों की पूजा करते है। उनका कोई भगवान नहीं होता। जनजाति समाज के सांस्कृतिक पहचान के बिन्दु हो सकते है। जैसे गोत्र, परिवार, विवाह, गुदना की परम्परा, धार्मिक आस्थाएँ, पूर्वज पूजा बिन्दु परम्परा से ही है। यह निम्नांकित है।

1. **गोत्र** : गोण्ड जनजाति विविध क्षेत्र में विभाजित हुई है। एक गोत्र के सदस्य अपने गोत्र के सदस्य के साथ र्भाचारे का व्यवहार करता है तथा गोत्रसमूह के किसी गोत्र के अन्दर विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता है। उदाहरण – आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के गोण्ड जनजाति में चार गोत्र यमूह य व्रकसा है :–

1) येरवेन सगा(सातभाई का गोत्र समूह)
2) सारवेन सगा (छः भई गोत्र समूह)
3) सिवेन सगा (पाँच भाई समूह)
4) नालवेन सगा (चार भाई समूह)

इनमें प्रत्येक गोत्र समूह के अन्तर्गत एक से अधिक गोत्र सम्मिलित है। जैसे येरवेन सगा में मडावी, पूरकाम, धूर्वू, इडपाते, मरस्कोला, मसराम आदि सम्मिलित है। प्रत्येक गोत्र पेरसापेन (बड़ा देव) नाम के कुलदेवता की पूजा करते है। गोण्ड जनजातियों का संगठन बनाये रखने तथा उनकी कुछ पारम्पारिक विशेषताओं को कायम रखने में गोत्र का प्रमुख महत्व है।

विवाह :

गोण्ड जनजातियों में विवाह को संस्कार न मानकर परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। गोण्ड जनजातियों में प्रमुखतः विवाह के चार प्रकार देखे गये है।
प्रथम प्रकार दो परिवारों में समझौता/ वार्ता द्वारा

विवाह होता है। द्वितीय प्रकार सेवा विवाह है जिसमें लड़का–लड़की के घर में सेवाकार्य करता है। तीसरा प्रकार पलायन विवाह है। जिसमें लड़का–लड़की भागकर विवाह करते और चतुर्थ प्रकार जबरन विवाह है जिसमें लड़की जबरजस्ती लड़के के घर में आकर रहने लगती है। गोण्ड जनजातियों में विवाह सम्बन्धों में सगे मामा–बुआ के लड़के–लड़कियों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। इनमें एक गोत्र के सदस्यों में परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होते। विवाह गोत्र से बाहर होता है। सगोत्री भई–बहन के रूप में माने जाते है। प्रायः वयस्क विवाहों का प्रचलन है। विवाह हेतु रज़ामंदी आवश्यक होती है। वर–वधु चयन के पश्चात् वधुमूल्य निर्धारित किया जाता है।
गोण्ड जनजातियों में कन्या और पत्नी यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दहेज प्रथा नहीं है। इसके अलावा बधुमूल्य की प्रथा दिखाई देती है। वधुमूल्य मुर्गी, अनाज, बकरा, रूपया और ग्रामभोज के रूप में होता **गोण्ड जनजातियों की धार्मिक आस्थाएँ :**
गोण्ड जनजातियों के धार्मिक उत्सव, उनकी आस्था में विश्वास एवं परम्पराओं के परिचायक है। इससे हमें गोण्ड जनजाति के देवी–देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य जनजातियों की तरह गोण्ड भी आस्तिक है श्रद्धावान होने के कारण वे अपने प्रत्येक सामाजिक, धार्मिक उत्सव का प्रारम्भ देवी–देवताओं की आराधना से करते है। गोण्ड बड़ादेव (पेरसापेन) के भक्त है। 'लींगों' ईश्वर का प्रेषक और कंकाली यह उसकी बहन मानी जाती है।

गोण्ड जनजाति में धर्म के साथ जादू का अस्तित्व है। दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती। इनमें धर्म और जादू की शुरूआत कहाँ से होती है तथा कहाँ से धर्म समाप्त होता है, यह निर्धारित कर पाना कठिन होता है। फिर भी धर्म और जादू के प्रति अपार आस्था होती है। विभिन्न व्याधियों, कष्टों, व संकटों से मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार का जादू उपयुक्त होगा, सुख–सम्पत्ति, शक्ति अर्जित करने के लिए किसे प्रसन्न या नियंत्रित करना चाहिए अदि के विषय में 'भगत' (पेरमा) ही जानकारी रखने वाला तथा उपाय करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है। अज्ञान व अशिक्षा से ग्रस्त गोण्डों का 'भगत' के द्वारा यह शोषण निंदनीय है। इस स्थिति में दिन–प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है।

पूर्वज पूजा :

गोण्ड जनजाति यह आस्था रखती है कि आत्मा अमर है। गोण्ड जनजाति की आस्थाएँयह भी है कि पूर्वज पशु–पक्षी, पेड़–पौधों या पदार्थो के माध्यम से वह टोटम उनके परिवारों पर दृष्टि रखता है। उन्हें सुख, लाभ पहुँचाता है। इन्हीं आस्थाओं के साथ उसकी रक्षा करते है। विवाह, बीमारी, पर्व आदि अवसरों पर पूर्वजों की पूजा करते है, जो उनके घर में ही उनके साथ रहते है। विशेष प्रयोजन के अवसर पर मुर्गे अथवा बकरे की बलि ई जाती है। मद्य का तर्पण किया जाता है।

गुदना की परम्परा :

गोण्ड जनजाति में गुदना (गोंदना) आवश्यक है। वे इसे धर्माचार मानते है। उनके लिए गुदना चिन्ह सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय होता है। साधारणतः शादी के बाद गुदना गुदवाना उचित नहीं माना जाता है। जनजाति और गैर–जनजाति दोनों अपने समुदायों में इन्हीं चिन्हों द्वारा सम्मान प्राप्त करते है। स्त्रियाँ अपने अंगों पर बहुत अधिक गुदना आकृतियाँ बनवाती है। बाहों, हाथों, कंधों, पावों, गालों, कलाईयों, पंजों, और यहाँ तक की छाती पर भी गुदना अंकित करवाना उनका संस्कार है।

गोण्ड जनजाति की समस्या

जनजातीय सांस्कृतिक विघटन

जब से जनजाति समाज सभ्य समाज के सम्पर्क में आने लगा है, तब से जनजातियों में सांस्कृतिक विघटन की समस्या पैदा हुई है। वे अपनी प्रथा परम्पराओं को छोड़कर सभ्य समाज की परम्पराओं को अपनाने लगे है, जो कि बुरी बात नहीं, अच्छी चीज़ है लेकिन उस प्रथा परम्पराओं का अंधानुकरण करते है और अपनी संस्कृति को निम्न (छोटा) समझते है। अपने धर्म, कला, संगीत, नृत्य और भाषा सबको धीरे–धीरे भूल रहे है। आज कितनी कलाएँ भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक वाद्य बजाने वाले सुमधुर संगीत, अपने लोकनृत्य और अपने जनजाति समुदाय को एक सूत्र में बांधने बाली भाषा प्रायः नष्ट होने की कगार पर है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो क्षीण हो गई है। अपनी संस्कृति की ऐसी मूल्यवान चीजें नष्टकर लगता है कि जनजाति समाज अपनी पहचान खो रहा है।

आदिवासियों की परम्परागत आस्थाओं पर आघात

जनजाति समाज की परम्परा व स्वरूप हिन्दू समाज क साथ जुड़ा है। उसका रिश्ता हिन्दु समाज के साथ अभिन्नता का है। वैदिक, पौराणिक, रामयण, ऐतिहासिक परम्परा के साथ जनजाति समाज जुड़ा हुआ है। जनजाति समाज को मूल हिन्दु समाज से अलग करने के लिए अंग्रेजों ने उनके लिए अलग–अलग नामकरण किया है। हिन्दु धर्म से अलग 'एनिमिस्ट' या 'प्रकृतिपूजक' धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। इन विद्वानों द्वारा 'एनिमिस्ट','प्रकृतिपूजक' मूलक धर्म को भी मान्यता दी गई होती, तब भी कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु प्रकृतिपूजक धर्म की मान्यता न देते हुए उन्होंने जनजातियों की पहचान धर्म से नहीं संस्कृति से होनी चाहिए यह तथ्य रखा। यह जनजातीय समाज के साथ घोर अपमान है। कोई भी समाज अपनी सांस्कृतिक धार्मिक परम्परा सामाजिक आस्था, मान्यता के बिना अपनी पृथक पहचान बनाकर नहीं रख सकता है।

लिखित साहित्य का अभाव

कई जनजातियों की अपनी अपनी बोलियाँ तो है किन्तु लिपि नहीं है। अतीत में आदिवासी समुदायों में स्थान सम्बन्धी गतिशीलता कम थी। वे आत्मनिर्भर थे। पंचायत और बुजुर्गों का उन पर नियंत्रण था। इसलिए लिपी न होने के बावजुद वे लोककथाओं, मिथकथाओं, मुहावरों और कहावतों, लोकगीतों आदि का रक्षण करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में इनका हस्तातरण करते रहे है। परन्तु आज की परिस्थिति के रूप में इनका हस्तान्तरण सम्प्रेषण के माध्यम की अनेक बोलियों को देवनागरी लिपी में लिपिबऋ करना आवश्यक है।

धर्मपरिवर्तन :

जनजाति समाज हिन्दु धर्म का बिछड़ा हुआ अंग है। लेकिन जब से ब्रिटीश हिदुस्थान में आये तब से उन्होंने देखा कि जनजाति समुदाय दिशाहीन, गरीब, बेकार, शराब का व्यसनी, सामाजिक बुराईयों, शोषण और कुरीतियों के शिकार और सभ्य समाज से पिछड़ा हुआ समाज है तब उन्होंने ईसाई मिशनरियों को लाकर, उनको भिन्न–भिन्न समस्याओं के शिकार जनजातियों की सेवा करने की शिक्षा दी। लेकिन सेवा और शिक्षा के साथ–साथ उन्होंने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया। लोगों का धर्म परिवर्तन करावाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाया, वे अपने समाज से अलग तो हो गये परन्तु उन्हें ईसाई धर्म में भी योग्य स्थान नहीं मिला। धर्म

परिवर्तन की इस समस्या के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन हुआ है। किन्तु आज परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अब जनजाति फिर से हिन्दु धर्म में वापसी कर रहा है।

भाषा की समस्या

सभ्य समाज के सम्पर्क अैर शिक्षा के कारण जनजाति में द्विभाषा की समस्या खड़ी हुई है। वे अपनी गोण्डी भाषा के प्रति उदासीन हो गये है व अन्य भाषा बोलने लगे है। जिसकी वज़ह से उनकी भाषा नष्ट होने लगी है। ईसाई मिशनरियों ने रोमन लिपि के माध्यम से शिक्षा देना प्रारम्भ किया। अतः वे अपनी बोली भाषा धीरे–धीरे भूलते गए। अपनी भाषा नष्ट होने के कारण उनकी सांस्कृतिक परम्परा का भी पतन होने लगा है।

बेरोजगारी

जनजातीय क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में बेरोंजगारी की भीषण समस्या है। इन जनजातियों के शिक्षित युवक–युवतियों को आज भी अपनी शैक्षणिक योग्यतानुसार रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाता। जंगलों के ठेकेदार, व्यापारी, प्रशासनीय अधिकारी, महाजन, सहूकार आदि ने जनजातीय लोगों के पिछड़ेपन एवं अशिक्षा का पूर्ण रूप से लाभ उठाया। ठेकेदारों से मिलने वाली कम मजदूरी के कारण श्रमिकों की आर्थिक दशा खराब हो गई है।

श्रमग्रस्त कई व्यक्ति प्रायः कर्जे में ही जन्मता है और कर्ज में ही मर जाता है। इनमें एक आवश्यक बुराई कर्जा लेना है। एक बार कर्जी हो जाने पर इनका कर्ज कभी नहीं उतरता। क्योंकि साहूकार लोग ँची दर से ब्याज वसूल करते है। इन साहूकारों ने इनकी अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त कर दिया है।

है।

नशाखोरी, अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ :

प्रायः प्रत्येक गोण्ड परिवार उत्सवों, त्यौहारों और विवाह आदि के अवसरों पर शराब, गांजा आदि नशीली पदार्थों का सेवन करते है।अधिकतर जनजाति अंधविश्वासों में जकड़े रहते है। अनेक बीमारियों का इलाज भी जादुटोना, जड़ीबुटी आदि से करवाते है। इसी कारण अधिक मौतें होती है। अंधविश्वास के कारण ही ये बीमारी को देवी–देवता का प्रकोप मानते है।

कर्ज लेकर भी मृत्युभोज करने जैसी कुरीतियों से घिरे है। साथ ही दहेज प्रथा आदि प्रथा का प्रचलन हो रहा है। इन सभी का दुष्प्रभाव इनकी आर्थिक स्थिति और स्वस्थ जीवन पर पड़ता है।

चिकित्सा का अभाव

जनजातीय क्षेत्रों में दस–दस कि.मी. ≈बड़–खाबड़ पहाड़ी रास्तों में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। सरकारी आँकड़े केवल दिखावटी है, वास्तविकता नहीं। इन क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नर्सेस, कम्पाउण्डर्स एवं साधनों का अभाव रहता है। चिकित्सा सुविधाओं की कमी से कुपोषण से जनजातियों का स्वास्थ्य कमज़ोर होता है।

गोण्ड जनजातियों मे उपरोक्त समस्याहै। इन समस्याओं के निर्मूलन के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए सम्पर्ण समाज के सहयोग की आवश्यकता है। जनजाति विकास के यज्ञ में हमें अपनी भी आहूति देनी होगी। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते है ?, हमने क्या किया है ? हमें अपने समय के साथ तन,मन,धन अर्पित करना होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है ? उन्हें क्या करना चाहिए ? ये सब छोड़कर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्रूा करना चाहिए? यही सोचना होगा। तथी हम शोषणमुक्त और समतायुक्त जनजाति समाज का निर्माण कर सकेंगे। यही हमारा सार्थक और समर्पित प्रयास होगा।

.....

गोण्ड समाज के बीच कल्याण आश्रम

वनवासी कल्याण आश्रम भी गोण्ड समाज के बीच विभिन्न रूप में सेवाकार्य कर रहा है। कहीं शिक्षा, तो कहीं आरोग्य जैसे कई प्रकार के प्रकल्पों का संचालन कर रहा है। 'समाज के विकास हेतु कुछ करना चाहिए।'–इस प्रकार का सुझाव देने वाले तो बहुत है परन्तु प्रत्यक्ष कार्य करना भी उतना ही आवश्यक है। वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता प्रकल्पों के माध्यम से गोण्ड समाज के विकास हेतु कई वर्षों से कार्यरत है।

हमारे छात्रावास में अध्ययन कर शिक्षा प्राप्त कर आज सामाजिक जीवन में अग्रसर हुए है ऐसे युवक इस बात का प्रमाण है। कुछ युवक कल्याण आश्रम की स्थानीय समितियों में कार्यरत है और कुछ पूर्णकालिक के रूप में भी समय दे रहे है।

- कुरखेडा, आहिरी, भांभरागढ नागपुर मालेगांव (जिला यवतमाल) में छात्रावास
- कोरची तालुका 12 बालसंस्कार केन्द्र
- कुरक्षेडा में सिलाई मशीन केन्द्र
- खेलकूद केन्द्र 60
- यवतमाल आरोग्य रक्षक योजना और अंदरोनी गाँवों के लिये चल चिकित्सालय (मोबाईल वान) तथा मेडिकल कॅम्प का आयोजन